

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्- मसौढ़ी एवं भभुआ।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- मोहनियां, लालगंज, राजगीर एवं मुरलीगंज।

पटना, दिनांक-०६/०३/१७

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित कुल ₹712.31117 लाख (सात करोड़ बारह लाख एकतीस हजार एक सौ सत्रह रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹712.31117 लाख (सात करोड़ बारह लाख एकतीस हजार एक सौ सत्रह रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 05 के अनुरूप तत्काल कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, मसौढ़ी	वार्ड सं०- 25 में सुरेन्द्र रविदास के घर से वार्ड सं०- 26 में रामजी यादव के घर होते हुए रेलवे लाईन तक पी०सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	43.84700	32.88525	10.96175
2		नगर परिषद्, मसौढ़ी अंतर्गत मेन रोड से हॉस्पिटल रोड में जे०पी० केशरी के घर होते हॉस्पिटल के पास देवी स्थान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	25.77500	19.33125	6.44375
3	नगर परिषद्, भभुआ	वार्ड नं०- 11 में बड़ाबाबु के मकान से रामेश्वर पाठक अधिवक्ता के माकन तक पी०सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	23.52000	17.64000	5.88000
योग (क)			93.14200	69.85650	23.28550
4	नगर पंचायत, मोहनियां	वार्ड नं०- 04 काली जी रोड से काली मंदिर तक पी०सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	28.99997	21.74998	7.24999
5		वार्ड नं०- 01 में मुनी राम के घर से दुर्गा मंदिर तक पी०सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	33.25486	24.94114	8.31372
6		वार्ड नं०- 03 में हरीजन बस्ती से भगवान राम तक पी०सी०सी० पथ एवं नाली निर्माण कार्य।	23.51234	17.63425	5.87809

५

7	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 02 कैलू मुखिया के घर से भद्री ऋषिदेव के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	14.51800	10.88850	3.62950
8	नगर पंचायत, लालगंज	Construction of PCc Road & RCC Drain from Muzaffarpur Main road Ghaghra chowk knaharpul ote huye rahul priyedarshi hospital hote huye gandhi chowk south direction bari Masjid hote huye Bandh road Avdanpir se Repura Jawahar Chowk tak.	438.87000	329.15250	109.71750
9		वार्ड नं०- 03 शिव मंदिर मोड़ से बिरजू राजवंशी के घर होते हुए श्री विश्वकर्मा मंदिर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण तथा ह्यूम पाईप बिछाने का कार्य।	24.37000	18.27750	6.09250
10	नगर पंचायत, राजगीर	वार्ड नं०- 13 मोनु उपाध्याय के घर से महामाया मंदिर, डोमन साव होते हुए लक्ष्म यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	31.30600	23.47950	7.82650
11		वार्ड नं०- 01 एन०एच०- 82 पीपल पेड़ से पडितपुर तालाब तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.33800	18.25350	6.08450
योग (ख)			619.16917	464.37687	154.79230
योग (क+ख)			712.31117	534.23337	178.07780

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. कुल आवंटित राशि ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) आवंटित कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 03 तक के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹69.85650 लाख (उनहत्तर लाख पचासी हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48

बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) आवंटित कुल राशि ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 04 से 11 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹464.37687 लाख (चार करोड़ चौसठ लाख सैंतीस हजार छः सौ सतासी रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

(vi) योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
06.03.19
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2017 १७ /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-06.03.19
प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध
निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित
कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं
आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को
विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5
प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

*** अनौपचारिक
रूप से परामर्शित**

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-06/03/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित कुल ₹712.31117 लाख (सात करोड़ बारह लाख एकतीस हजार एक सौ सत्रह रु0) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु0) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित स्तम्भ- 03 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल ₹712.31117 लाख (सात करोड़ बारह लाख एकतीस हजार एक सौ सत्रह रु0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 05 के अनुरूप तत्काल कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु0) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद, मसौढ़ी	वार्ड सं०- 25 में सुरेन्द्र रविदास के घर से वार्ड सं०- 26 में रामजी यादव के घर होते हुए रेलवे लाईन तक पी०सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	43.84700	32.88525	10.96175
2		नगर परिषद, मसौढ़ी अंतर्गत मेन रोड से हॉस्पिटल रोड में जे०पी० केशरी के घर होते हॉस्पिटल के पास देवी स्थान तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	25.77500	19.33125	6.44375
3	नगर परिषद, भभुआ	वार्ड नं०- 11 में बड़ाबाबु के मकान से रामेश्वर पाठक अधिवक्ता के माकन तक पी०सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	23.52000	17.64000	5.88000
योग (क)			93.14200	69.85650	23.28550
4	नगर पंचायत, मोहनियां	वार्ड नं०- 04 काली जी रोड से काली मंदिर तक पी०सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	28.99997	21.74998	7.24999
5		वार्ड नं०- 01 में मुनी राम के घर से दुर्गा मंदिर तक पी०सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	33.25486	24.94114	8.31372
6		वार्ड नं०- 03 में हरीजन बस्ती से भगवान राम तक पी०सी०सी० पथ एवं नाली निर्माण कार्य।	23.51234	17.63425	5.87809

4

7	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 02 कैलू मुखिया के घर से भद्री ऋषिदेव के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	14.51800	10.88850	3.62950
8	नगर पंचायत, लालगंज	Construction of PCc Road & RCC Drain from Muzaffarput Main road Ghaghra chowk knaharpul ote huye rahul priyedarshi hospital hote huye gandhi chowk south direction bari Masjid hote huye Bandh road Avdanpir se Repura Jawahar Chowk tak.	438.87000	329.15250	109.71750
9		वार्ड नं०- 03 शिव मंदिर मोड़ से बिरजू राजवंशी के घर होते हुए श्री विश्वकर्मा मंदिर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण तथा ह्यूम पाईप बिछाने का कार्य।	24.37000	18.27750	6.09250
10	नगर पंचायत, राजगीर	वार्ड नं०- 13 मोनु उपाध्याय के घर से महामाया मंदिर, डोमन साव होते हुए लझु यादव के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	31.30600	23.47950	7.82650
11		वार्ड नं०- 01 एन०एच०- 82 पीपल पेड़ से पंडितपुर तालाब तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	24.33800	18.25350	6.08450
योग (ख)			619.16917	464.37687	154.79230
योग (क+ख)			712.31117	534.23337	178.07780

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. कुल स्वीकृत राशि ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) स्वीकृत कुल ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 03 तक के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹69.85650 लाख (उनहत्तर लाख पचासी हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि ₹534.23337 लाख (पाँच करोड़ चौतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सैंतीस रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 04 से 12 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹464.37687 लाख (चार करोड़ चौसठ लाख सैंतीस हजार छः सौ सतासी रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

- (i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।
- (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय-समय पर किया जाएगा।
- (iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- (iv) योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।
- (v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।
- (vi) योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-02/2017 के पृष्ठ सं०-.....34...../टि० पर दिनांक-05/03/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....35...../टि० पर दिनांक-05/03/2019 को प्राप्त है।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।



10. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्, एवं संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2017 139 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-06.03.19
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद्, एवं संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

40